न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 237 सन 2018

अनवान :–

1. दौलतराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
2. रामलाल 3 बेगराज 4 जुगलाल पि0 भादरराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. चन्दावली उर्फ चावली 6 सिलोचना 7 शान्ति 8 मोहनी पुत्रीया भादरराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11-01-2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 158/144 के खसरा न0 139 की 8.8676हैक व खसरा न0 164 की 10.9296हैक खसरा न0 239 की 9.0574हैक व खसरा न0 289/2 की 0.1391हैक व खसरा न0 413 की 10.6640हैक कुल तादादी 39.6577हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी सख्या 1 के पिता नत्थुराम के नाम से दर्ज थी वादी का दादा एवं दादी का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पर उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज दादा के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 2 ता 8 के दादा नत्थुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद

विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वाद भूमि हिस्से में आई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 158/144 के खसरा न0 139 की 8.8676हैक्‍ व खसरा न0 164 की 10.9296 खसरा न0 239 की 9.0574हैक्‍ खसरा न0 389/2 की 0.1391हैक्‍ व खसरा न0 413 की 10.6640हैक्‍ कुल 39.6577हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन करने हेतु 5000/- अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे । यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । 11-04-2019

निर्णय आज दिनांक ~~14.09.2018~~ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official